

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 76/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.10.2017

निर्णय दिनांक : 23.11.2017

राजस्थान सरकार

बनाम

नरेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह


जाति राजपूत नि0 सिंडियास

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पलाड़ा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नरेन्द्र सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी सिंडियास ने ग्राम सिंडियास के खसरा नम्बर 44 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला भूमि में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2074 में डोल लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल स्वयं ने प्राप्त कि। गैर सायल की ओर से एडवोकेट अशोक पुरी उपस्थित हुआ तथा कोई भी जवाब एवं साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये।

गैर सायलान आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहा। जिससे उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई गैर सायल का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायल ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम सिंडियास के आराजी राज खसरा नम्बर 44 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला भूमि में से रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर


तहसीलदार
न्यायालय कुचामन सिटी (नागौर)

लगाता

